

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक फरवरी, 2015

विषय:-

भागलपुर जिलान्तर्गत अश्वरोही परिसर में समरसेबुल बोरिंग अधिष्ठापन के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 2,55,600 (दो लाख पचपन हजार छह सौ ₹0) एवं मुंगेर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में वाहनों के रख-रखाव हेतु गैरेज के निर्माण कार्य के लिए ₹ 55,99,400 (पचपन लाख निन्यानवे हजार चार सौ ₹0) यानि कुल ₹ 58,55,000 (अंठावन लाख पचपन हजार ₹0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 58,55,000 (अंठावन लाख पचपन हजार ₹0) विमुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक-1113/आधु0, दिनांक-23.09.2015 के संबंध में कहना है कि भागलपुर जिलान्तर्गत अश्वरोही परिसर में समरसेबुल बोरिंग अधिष्ठापन के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 2,55,600 (दो लाख पचपन हजार छह सौ ₹0) एवं मुंगेर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में वाहनों के रख-रखाव हेतु गैरेज के निर्माण कार्य के लिए ₹ 55,99,400 (पचपन लाख निन्यानवे हजार चार सौ ₹0) यानि कुल ₹ 58,55,000 (अंठावन लाख पचपन हजार ₹0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 58,55,000 (अंठावन लाख पचपन हजार ₹0) विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 58,55,000 (अंठावन लाख पचपन हजार ₹0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या-22 के बजट शीर्ष-“4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0101-पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण” विपत्र कोड-P4055000510101 एवं विषय शीर्ष-53 01-मुख्य निर्माण कार्य, राज्य योजना स्कीम कोड-HOM 5420 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका-6/योजना-01-56/2015गृ0आ0 के पृ0 3/टि0 पर दिनांक-28.12.2015 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/योजना-01-56/2015गृ0आ0...../पटना, दिनांक 11 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/ पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव

101214